भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 451
उत्तर देने की तारीख - 22/07/2025

दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय कोष हेतु आवंटित धनराशि

451. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती शांभवी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2020 से दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ख) शिक्षा, सहायक उपकरण, उद्यमिता सहायता और कौशल विकास के लिए विभिन्न श्रेणियों में इस कोष से लाभान्वित हुए मानक दिव्यांगजनों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इस कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की समय पर पहचान और लाभों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 2025 में दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय कोष के दायरे को क्रियान्वित और विस्तारित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार बजट 2025-26 के अंतर्गत मानसिक रूप से भिन्न व्यक्तियों या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जैसी नई श्रेणियों को सहायता प्रदान करने के लिए इस कोष के आवंटन या कवरेज को बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2020 से दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, संवितरित और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:-

31.03.2025 तक (राशि करोड़ रुपये में)

आवंटित कोर्पस	स्वीकृत निधि	वितरित निधि	उपयोग की गई निधि
250	23.69	22.75	17.24

(ख): विभाग में शिक्षा, सहायक उपकरण, उद्यमिता समर्थन और कौशल विकास की श्रेणी के तहत लाभान्वित बेंचमार्क दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	लाभान्वित दिव्यांगजनों की संख्या				
	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	कुल
शिक्षा	34	0	60	728	822
सहायक उपकरण	0	0	02	0	02
उद्यमिता समर्थन	50	336	282	0	668
कौशल विकास	0	11	02	179	192
कुल	**84**	**347**	**346**	**907**	**1684**

(ग) और (घ): मंत्रालय ने दिव्यांगजनों और उनसे संबंधित संगठनों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वर्ष भर आवेदन स्वीकार करने के साथ, राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत, वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए हैं। आवेदनों की समीक्षा पात्रता मानदंडों के आधार पर की जाती है, और निधि के संवितरण हेतु अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पात्र मामलों को शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2025 में, आय मानदंडों से छूट जारी रखने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित करना है।

(ङ): राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता के लिए बहु दिव्यांगताओं, एएसडी, एसएलडी और बौद्धिक दिव्यांगताओं सहित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को पात्र माना जाता है।

****